

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

संख्या-3/टि0-01-02/2017-

/स्वा0, पटना, दिनांक: / 03/2019

निम्नांकित स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचनाओं, जो स्तम्भ-2 में अंकित है को, स्तम्भ-4 के अनुरूप संशोधित किया जाता है :-

1	2	3	4
A	अधिसूचना संख्या-391(3) दिनांक 09.03.19	1	कम संख्या-4 के स्तम्भ-5 में अंकित "अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर" के स्थान पर "अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर" पढ़ा जाय।
		2	कम संख्या-10 के स्तम्भ-5 में अंकित "अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा" के स्थान पर "अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा" पढ़ा जाय।
		3	कम संख्या-16 के स्तम्भ-3 में अंकित वरीयता क्रमांक-4467 के चिकित्सक का नाम डा0 सुरेश प्रसाद सिन्हा जिनका वर्तमान पदस्थापना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, पंडारक, पटना है, अतएव कम संख्या-16 के स्तम्भ-2 में अंकित नाम "डा0 सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा" के स्थान पर "डा0 सुरेश प्रसाद सिन्हा" एवं स्तम्भ-5 में अंकित उनका वर्तमान पदस्थापन जिला भेक्टर बोर्न डिजिज नियंत्रण पदाधिकारी, गया के स्थान पर "प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, पंडारक, पटना" पढ़ा जाय।
		4	कम संख्या-18 के स्तम्भ-5 में अंकित "चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, जन्दाहा, वैशाली" के स्थान पर "चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, गराही, जन्दाहा, वैशाली" पढ़ा जाय।
		5	कम संख्या-24 के स्तम्भ-5 में अंकित "उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, औरंगाबाद" के स्थान पर "उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, अरवल" पढ़ा जाय।
B	अधिसूचना संख्या-392(3) दिनांक 09.03.2019	6	कम संख्या-5 के स्तम्भ-5 में अंकित "अपर उपाधीक्षक-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी" के स्थान पर "अपर उपाधीक्षक-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग" पढ़ा जाय।


उक्त अधिसूचनाओं के शेष अंश यथावत रहेंगे ।

ह0/-
(अनिल कुमार)

कृ०प०उ०...

ज्ञापांक: 3 / टि0-01-02 / 2017-395(3) स्वा0, पटना, दिनांक: 11 / 03 / 2019

- प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य-चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: संबंधित सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: संबंधित स्थानान्तरित/अधिसूचित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


11-3-2019
सरकार के संयुक्त सचिव